तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
08-05-2026	पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी वकील एंव विप्रार्थी वकील उपस्थित। उभय पक्षकारान अधिवक्ताओं की बहस सुनी, गहनता से मनन किया गया। प्रार्थी वकील द्वारा पेश प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 03 सीपीसी सपठित धारा 05 परिसीमा अधि. वास्ते प्रार्थी संख्या 06 **आसूराम** के फौत होनें पर उसके कायम मुकाम के आवेदन को म्याद में शुमार करते हुये रिकार्ड पर लेने एंव इसी तरह प्रार्थी वकील द्वारा पेश प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 03 सीपीसी वास्ते प्रार्थी संख्या 01 **देवराज** के फौत होनें पर उसके कायम मुकाम को रिकार्ड पर लेने के प्रार्थना पत्र पेश किये। प्रार्थी वकील द्वारा पेश प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 03 सीपीसी सपठित धारा 05 परिसीमा अधि. वास्ते प्रार्थी संख्या 06 **आसूराम** के फौत होनें पर उसके कायम मुकाम के आवेदन को म्याद में शुमार करते हुये रिकार्ड पर लेने एंव प्रार्थी वकील द्वारा प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 03 सीपीसी वास्ते प्रार्थी संख्या 01 **देवराज** के फौत होनें पर उसके कायम मुकाम के आवेदन को रिकार्ड पर लेने का प्रार्थनों का जवाब विप्रार्थी वकील द्वारा प्रस्तुत किया गया जिसे शामील मिशल किया । प्रार्थना पत्रों पर उभय पक्ष विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी, मनन किया । प्रार्थी वकील द्वारा प्रस्तुत आवेदन के समर्थन मे नजीर 2005 (1) आर0 आर0 टी0 पेज 301 प्रस्तुत की गई जिसमे तकनीकी आधार पर आदेश 22 नियम 03 सीपीसी के आवदेन व वाद को खारिज नही किये जाने के सिंद्धात को हस्तगत प्रकरण पर लागू किया जाकर प्रार्थी वकील द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों को स्वीकार किया जाकर अनुसार सल्गन प्रार्थना पत्र संशोधित शीर्षक कायम मुकाम रेकर्ड पर लिये गये। प्रार्थी वकील द्वारा प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत आदेश 06 नियम 2 (2) सीपीसी बाबत् विप्रार्थीगण द्वारा दिनांक 22.07.2024 को अस्थाई निषेधाज्ञा के आवेदन के पैरा संख्या 01 से 12 और अस्थाई निषेधाज्ञा के आवेदन में मांगी गई इस्तदुआ का पैरा वाईस जवाब नही देने से पैरा वाई जवाब हेतु विप्रार्थीगण को निर्देशित करने का प्रस्तुत किया गया जिसका जवाब विप्रार्थी द्वारा दिया गया जो प्रार्थीगण का आवेदन खारिज किया जाता है। प्रार्थी वकील द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 08 नियम 09 सपठित धारा 141 व 151 सीपीसी बाबत जवाब उल जवाब प्रस्तुत करनें की अनुमति प्रदान करनें का स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण के पक्ष मे प्रथम दृष्टाय् मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति तीनो बिन्दुओ को प्रार्थीगण के पक्ष मे बखुबी प्रमाणित मानकर अंतरिम आदेश दिनॉक 18/10/2022 को अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर तहसील रामसर के राजस्व ग्राम इन्द्रावास पटवार मण्डल खडीन के खसरा नंबर 707 रकबा 25.2685 हैक्टेयर (156.02 बीघा) एवं राजस्व ग्राम डउकियों की ढाणी पटवार मण्डल खडीन के खसरा नंबर 02 रकबा 6.9444 हैक्टेयर (43.18 बीघा), खसरा नंबर 08 रकबा 7.9480 हैक्टेयर (49.02 बीघा),खसरा नंबर 07 रकबा 0.0324 हैक्टेयर (04 बिस्वा), खसरा नंबर 10 रकबा 17.1748 हैक्टेयर (106.02 बीघा), खसरा नंबर 01 रकबा 14.9572 हैक्टेयर (92.08 बीघा), खसरा नंबर 16 रकबा 0.0243 हैक्टेयर (03 बिस्वा), खसरा नंबर 06 रकबा 0.2428 हैक्टेयर (01.10 बीघा), व खसरा नंबर 09 रकबा 24. 0059 हैक्टेयर (148.06 बीघा), इस प्रकार **जुमले रकबा 543.14 बीघा** में विप्रार्थीगण के कब्जाकाश्त में दखलदांजी नही करनें तथा भूमि का बैचान नही करनें तथा रेकर्ड एंव मौके की यथास्थिति बनाये रखनें के आशय का जारी स्थगन आदेश ताफैसला वाद तक जारी किया जाता हैं । टी.आई. कन्फर्म होकर पत्रावली फैसल सुमार हो नंबर से कम होकर दफ्तर दाखिल हो। **सहायक कलक्टर** **(SDO) रामसर**	

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Lal Meena
Date: 2026.05.21 16:40:58 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner